न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 103/2024

निर्णय दिनांक 02.04.2025

ऑनलाईन जीसीएमएस नं0 2024/220

मंगूदेवी पत्नी मगाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

—वादीनी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजरथान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। 2. फूसाराम पुत्र उमाराम 3. धर्मचन्द 4. परमेश्वरलाल 5. सुलतानाराम 6. द्रोपती पुत्रगण / पुत्री रामकरण 7. पूसीदेवी पत्नी स्व. रामकरण जातियान कुम्हार निवासीगण दड़िबा हाल ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ जिला चुरू 8. नानूदेवी पत्नी पूनाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादीनी
2. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत, अशोक सारस्वत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136, 131 एलआर एक्ट 1956</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 154900 हैक्टेयर वाके रोही हथाणातहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है।उक्त खसरा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 15.49हैक्टेयर मय गैर मुमकिन में अपने 1/2 हिस्से की भूमिमें से पश्चिमी मध्य की 3.1600 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 3.1600 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 6.3200 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 को वादिनी को विक्रय किया था तथा इसी खसरा नम्बर 160 की भूमि में से उतरी पश्चिमी 0.6300 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 ने तथा 0.6300 भूमि (उतरी पश्चिमी भूमि) को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 को विक्रय किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 द्वारा खसरा नम्बर 160 की भूमि में से वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या 8 को विक्रय करने से वादिनी के नाम खसरा नम्बर 182/160 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाके रोही हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम खसरा नम्बर 181/160 तादादी 1.2600 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा शेष भूमि की खातेदारी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

183/160 तादादी 7.9100 हैक्टेयर रूप में प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 द्वारा वादिनी व प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय किए गये हिस्से का समुचित आसापासा विक्रय पत्र दिनांकित 15.06.2012 में दिया गयाहै परन्तु राजस्व अमला द्वारा उक्त विक्रय पत्रों के अनुसार तरमीम नहीं की जाकर प्रतिवादिनी संख्या 8 के खसरा नम्बर 181/160 तादादी 1.2600 हैक्टेयर को वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के उतरी तरफ अंकित कर दिया है तथा वादिनी के खसरा नम्बर 182/160 तादादी 6.32 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के खसरा नम्बर 183/160 के पश्चिमी उतरी तरफ आयताकार के रूप में अंकित कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के खसरा नम्बर को उल्टा एल बना दिया है जबकि मौका स्थिति के अनुसार वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 के उतरी तरफ प्रतिवादिनी संख्या 8 काबिज है और प्रतिवादिनी संख्या 8 से दक्षिणी तरफ लम्बाई में वादिनी काबिज है और वादिनी व प्रतिवादी संख्या 8 के पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 काबिज है। वर्तमान राजस्व अक्स के अनुसार वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के खेतों की तरमीम बिलकुल ही गलत रूप से अंकित चली आ रहीहै। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 द्वारा दिनांक 15.06.2012 को किए गये विक्रय पत्रों के अनुसार मौका पर तरमीम नहीं हुई है व वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के खेतों की तरमीम गलत अंकित कर दी गई है जिसका वर्तमान राजस्व अक्स संलग्न किया जा रहा है। विक्रय पत्रों व मौकास्थिति के अनुसार सही तरमीम इस प्रकार होनी चाहिए थी

<u>मौकानुसार नक्शा</u>

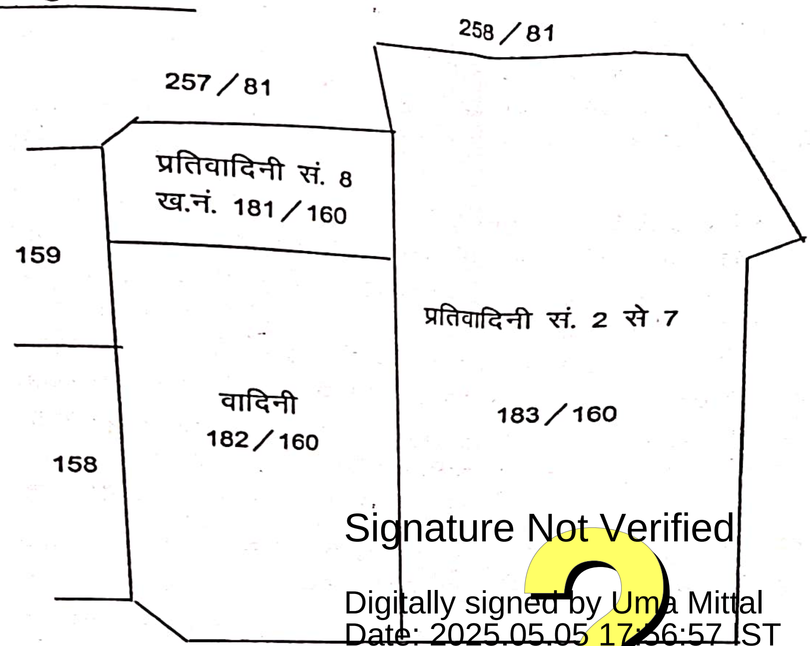

3

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

राजस्व अमला द्वारा राजस्व अक्स में गलत तरमीम कर दिए जाने से ना तो विक्रय पत्रों के अनुसार राजस्व अक्स में अंकन हो पाया है व ना ही मौकास्थिति सही हो पाई है। वर्तमान में वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 से 8 उपरोक्त सही रूप से दर्शाये गये नक्शा के अनुसार काबिज है। वादिनी ने उपरोक्त सही नक्शा के हिसाब से आपसी सहमति से राजस्व अक्स दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी 2 ता 8 से काफी बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण टाल–मटोल करते रहे व राजस्व अक्स को सही नहीं करवा रहे है, फिर वादिनी ने अपने पति के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 09.04.2024 को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व अक्स की तरमीम मौकानुसार करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में एक बार तरमीम हो जाने के बाद हम इसे दुरुस्त नहीं कर सकते, आपको अदालत से आदेश लाना होगा। वादिनी के खातेदारी के खेत का नक्शा विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 व मौकास्थिति के अनुसार सही नहीं दर्शाने से ना तो वादिनी के खेत की स्थिति सही रूप से प्रकट हो रही है व ना प्रतिवादिनी संख्या 2 ता 8 के खेतों की स्थिति सही रूप से प्रकट हो रही है व गलत तरमीम के कारण वादिनी को भारी परेशानी हो रही है इसलिए वादिनी अपने खातेदारी भूमि का राजस्व नक्शा सही रूप से घोषित करवा कर दुरुस्त करवाने की कानूनन अधिकारिणी है जिसके लिए यह घोषणात्मक व राजस्व अक्स दुरुस्ती का दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीसं 1 लैण्डलोर्ड है जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाताहै इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी.कानूनी नोटिस दिया जाना आज्ञापक होता है परन्तु प्रतिवादीसं 2 ता 8 हर सूरत में गलत कार्य करने पर आमादा हो रहे है व रिकार्ड को सही नहीं करवा रहे है इसलिए मामला अमरजेन्सी व तुरन्त अनुतोष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80(2)सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही ग्राम हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, इसलिए दावा को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। दावा हर तरह से समयावधि के भीतर व पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान् के समख प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि रोही ग्राम हथाणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 181/160 को वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 से उत्तर तरफ अंकित किया जावे व प्रतिवादिनी के खेत खसरा नम्बर 181/160 दक्षिणी तरफ यानि उतर से दक्षिण लम्बाई में वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 को (दावा की मद संख्या 5 में अंकित नक्शानुसार) घोषित किया जावे तथा खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नम्बर 183/160 को वादिनी व प्रतिवादिनी सं. 8 के खेतो सें पूर्वी तरफ घोषित किया जाये।

(ख) कि वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 तादादी 6.3200 हैक्टेयर तथा प्रतिवादिनी संख्या 8 के खेत खसरा नम्बर 181/160 तादादी 1.2600 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 183/160 तादादी 7.9100 हैक्टेयर वाके रोही हथाणा को मौकानुसार (जिसका समुचित नक्शा दावा की मद संख्या 5 में दिया गया है) के अनुसार दर्शित किये जाने व राजस्व अक्स को दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जाकर उसकी पालना करवाई जावे।

(ग) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ)कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 के अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पर अपनी अनापति पेश की गई। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षपे में वादी एवं प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 तादादी 6.3200 हैक्टेयर तथा प्रतिवादिनी संख्या 8 के खेत खसरा नम्बर 181/160 तादादी 1.2600 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 183/160 तादादी 7.9100 हैक्टेयर वाके रोही हथाणा की तरमीम मौका कब्जा अनुसार घोषित की जाकर राजस्व अक्स को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सही [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मंगूदेवी पत्नी मगाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। 2. फूसाराम पुत्र उमाराम 3. धर्मचन्द 4. परमेश्वरलाल 5. सुलतानाराम 6. द्रोपती पुत्रगण / पुत्री रामकरण 7. पूसीदेवी पत्नी स्व. रामकरण जातियान कुम्हार निवासीगण दड़िबा हाल ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ जिला चुरू 8. नानूदेवी पत्नी पूनाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी धोरान तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

मुकदमा नम्बर 103/2024
दावा बाबत: घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक: 02.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से कैलाश सारस्वत व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिनी के खेत खसरा नम्बर 182/160 तादादी 6.3200 हैक्टेयर तथा प्रतिवादिनी संख्या 8 के खेत खसरा नम्बर 181/160 तादादी 1.2600 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के खेत खसरा नम्बर 183/160 तादादी 7.9100 हैक्टेयर वाके रोही हथाणा की तरमीम मौका कब्जा अनुसार घोषित की जाकर राजस्व अक्स को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करे।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 02 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)